

## गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन हेतु नियम व शर्ते निम्नवत है :-

- 1— प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन करने हेतु अनुज्ञा/लाईसेन्स के आधार पर स्थल उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2— आवेदक को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट गतिविधि हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु०—1,10,000.00 जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। आवेदक के परिवार का कोई एक ही सदस्य नियमानुसार ई-नीलामी में भाग ले सकेगा।
- 3— आवेदक को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए गतिविधि के संचालन हेतु कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4— आवेदक यदि प्राधिकरण का बकाया धनराशि का भुगतान करके प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
- 5— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन हेतु प्रत्येक गतिविधि हेतु न्यूनतम किराया प्रतिमाह रु०—1,10,000.00 एवं विड की धनराशि रु०—10,000.00 निर्धारित है
- 6— उक्त स्थल का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता द्वारा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर 03 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा कर नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराने के पश्चात् कब्जा प्राप्त करना होगा। अनुबन्ध निष्पादित होने वाले समस्त व्यय का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।
- 7— उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि/किराया विलम्ब से जमा किया जाता है, तो देय धनराशि पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा। निरन्तर 03 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर आवंटन/लाईसेन्स उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8— उक्त अनुज्ञा/लाईसेन्स प्रथमतः 3 वर्ष के लिए ई-नीलामी के माध्यम से दिया जायेगा, जिसका नवीनीकरण लाईसेन्स धारक का कार्य सन्तोष जनक होने पर प्राधिकरण द्वारा पुनः 02 वर्ष के लिए अनुज्ञा/लाईसेन्स की अवधि बढ़ायी जा सकती है। कार्य की कुल अवधि 05 वर्ष ही रहेगी। नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। किराये की धनराशि में प्रति वर्ष 12.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण कोष में किराया जमा करना होगा।



- 9— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन हेतु दरो का निर्धारण लाईसेन्स धारक द्वारा प्राधिकरण की सहमति से किया जायेगा व किसी भी शासकीय कर इत्यादि के भुगतान का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा। उपयोग में लायी जाने वाली पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन हेतु की संख्या प्राधिकरण की अनुमति से निर्धारित की जायेगी।
- 10— लाईसेन्स धारक स्थल का उपयोग केवल अनुज्ञा (लाईसेन्स) में वर्णित प्रयोजन यथा पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- 11— गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर कोई क्षति कारित नहीं की जायेगी।
- 12— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट का संचालन विधि विहित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाईसेन्स धारक का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। समस्त आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
- 13— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों/लाइफ गार्ड के नियोजन का दायित्व भी लाईसेन्स धारक का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। लाईसेन्स धारक का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त कर्मचारी/ विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को ही नियोजित किया जायेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
- 14— लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण के पास जमानत धनराशि के रूप में जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि लाईसेन्स धारक पर प्राधिकरण का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
- 15— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने हेतु निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को समय-स्यम पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ एवं परामर्शी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तों के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्राधिकरण, लाईसेन्स धारक को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

- 16— प्राधिकरण को पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा लाईसेन्स धारक को उक्त निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- 17— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख-रखाव, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था लाईसेन्स धारक की होगी तथा किसी अव्यवस्था, आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोगवश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।
- 18— लाईसेन्स धारक अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुर्घट्ठार अथवा झगड़ा-फसाद नहीं करेंगे।
- 19— लाईसेन्स धारक पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नहीं करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।
- 20— प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स को प्राधिकरण द्वारा लाईसेन्स धारक को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में लाईसेन्स धारक को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति (कम्पनशेसन) देय नहीं होगा।
- 21— लाईसेन्स समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में लाईसेन्स धारक पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट का संचालन बन्द करते हुए यदि कोई उपकरण/सामग्री प्रथम पक्ष से प्राप्त किये हैं, तो उक्त सामग्री को यथास्थिति में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।
- 22— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट का संचालन हेतु लाईसेन्स धारक द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर लाईसेन्स धारक द्वारा सर्वग्राही इन्स्योरेन्स कराया जायेगा।
- 23— प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स में प्राविधानित नियम व शर्तों को लाईसेन्स धारक किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित अथवा किरायेदारी (सबलेटिंग) पर देने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण को लाईसेन्स धारक द्वारा जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निष्पादित किये गये लाईसेन्स को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- 24— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन में स्थलों पर विधि एवं नियमानुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों यथा अग्नि शमन उपकरण, पूर्ण सुसज्जित फस्ट ऐड बाक्स, लाइफ गार्ड आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

- 25— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के अधीन संचालित सेवाओं एवं सुविधाओं से सम्बन्धित सभी स्थानों का समुचित रख-रखाव, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक अपने व्यय पर स्वयं वहन करेगा।
- 26— यदि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सिचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेन्स धारक को आवंटित स्थल/परिसर के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते हैं या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्रभावित हो तो इन नियमों/शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो लाईसेन्स धारक को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 27— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन लाईसेन्स धारक को सुनिश्चित करना होगा।
- 28— विद्युत कनेक्शन लाईसेन्स धारक द्वारा स्वयं लिया जायेगा और उसका भुगतान ससमय करना होगा।
- 29— शर्तों आदि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर आर्बिटर होगें और उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 30— लाईसेन्स धारक द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तों का लाईसेन्स धारक द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा। ऐसी दशा में लाईसेन्स धारक को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नहीं होगा।
- 31— पर्यटन मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट-स्की वाटर काप्ट का संचालन एन0जी0टी0 के नियमों/आदेशों के अधीन होगा।
- 32— किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।

1/10/1

2/2

3/3

**गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन हेतु नियम व शर्त निम्नवत है :-**

- 1— प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल में पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन करने हेतु अनुज्ञा/लाईसेन्स के आधार पर स्थल उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2— आवेदक को ई—नीलामी में भाग लेने के लिए पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट गतिविधि हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु०—४५,०००.०० जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा । आवेदक के परिवार का कोई एक ही सदस्य नियमानुसार ई—नीलामी में भाग ले सकेगा ।
- 3— आवेदक को ई—नीलामी में भाग लेने के लिए गतिविधि के संचालन हेतु कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 4— आवेदक यदि प्राधिकरण का बकायेदार है, तो बकाया धनराशि का भुगतान करके प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ई—नीलामी में भाग ले सकेंगे ।
- 5— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन हेतु प्रत्येक गतिविधि हेतु न्यूनतम किराया प्रतिमाह रु०—४५,०००.०० एवं विड की धनराशि रु०—५,०००.०० निर्धारित है ।
- 6— उक्त स्थल का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा । उच्चतम बोलीदाता द्वारा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर 03 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा कर नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराने के पश्चात् कब्जा प्राप्त करना होगा । अनुबन्ध निष्पादित होने वाले समस्त व्यय का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा ।
- 7— उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि/किराया विलम्ब से जमा किया जाता है, तो देय धनराशि पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा । निरन्तर 03 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर आवंटन/लाईसेन्स उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 8— उक्त अनुज्ञा/लाईसेन्स प्रथमतः 3 वर्ष के लिए ई—नीलामी के माध्यम से दिया जायेगा, जिसका नवीनीकरण लाईसेन्स धारक का कार्य सन्तोष जनक होने पर प्राधिकरण द्वारा पुनः 02 वर्ष के लिए अनुज्ञा/लाईसेन्स की अवधि बढ़ायी जा सकती है। कार्य की कुल अवधि 05 वर्ष ही रहेगी। नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। किराये की धनराशि में प्रति वर्ष 12.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण कोष में किराया जमा करना होगा ।
- 9— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन हेतु दरो का निर्धारण लाईसेन्स धारक द्वारा प्राधिकरण की सहमति से किया जायेगा व किसी भी शासकीय कर इत्यादि के भुगतान का

- दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा। उपयोग में लायी जाने वाली पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन हेतु की संख्या प्राधिकरण की अनुमति से निर्धारित की जायेगी।
- 10— लाईसेन्स धारक स्थल का उपयोग केवल अनुज्ञा (लाईसेन्स) में वर्णित प्रयोजन यथा पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- 11— गतिविधि हेतु उपलब्ध कराये गये स्थल पर कोई क्षति कारित नहीं की जायेगी।
- 12— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट का संचालन विधि विहित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाईसेन्स धारक का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। समस्त आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
- 13— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों/लाइफ गार्ड के नियोजन का दायित्व भी लाईसेन्स धारक का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को लाईसेन्स धारक द्वारा वहन किया जायेगा। लाईसेन्स धारक का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा प्रशिक्षित व अनुभव प्राप्त कर्मचारी/ विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को ही नियोजित किया जायेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
- 14— लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण के पास जमानत धनराशि के रूप में जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि लाईसेन्स धारक पर प्राधिकरण का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
- 15— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने हेतु निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ एवं परामर्शी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगे तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तों के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्राधिकरण, लाईसेन्स धारक को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- 16— प्राधिकरण को पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा लाईसेन्स धारक को उक्त निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- 17— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख-रखाव, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था लाईसेन्स धारक की होगी तथा किसी अव्यवस्था,

1001

83

आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोगवश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।

- 18— लाईसेन्स धारक अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुर्ब्धार अथवा झगड़ा—फसाद नहीं करेंगे।
- 19— लाईसेन्स धारक पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नहीं करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।
- 20— प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स को प्राधिकरण द्वारा लाईसेन्स धारक को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में लाईसेन्स धारक को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति (कम्पनशेसन) देय नहीं होगा।
- 21— लाईसेन्स समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में लाईसेन्स धारक पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट का संचालन बन्द करते हुए यदि कोई उपकरण/सामग्री प्रथम पक्ष से प्राप्त किये हैं, तो उक्त सामग्री को यथास्थिति में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।
- 22— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन हेतु लाईसेन्स धारक द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर लाईसेन्स धारक द्वारा सर्वग्राही इन्स्योरेन्स कराया जायेगा।
- 23— प्राधिकरण एवं लाईसेन्स धारक के मध्य निष्पादित लाईसेन्स में प्राविधानित नियम व शर्तों को लाईसेन्स धारक किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित अथवा किरायेदारी (सबलेटिंग) पर देने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण को लाईसेन्स धारक द्वारा जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निष्पादित किये गये लाईसेन्स को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- 24— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन में स्थलों पर विधि एवं नियमानुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों यथा अग्नि शमन उपकरण, पूर्ण सुसज्जित फर्स्ट ऐड बाक्स, लाइफ गार्ड आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक का होगा।
- 25— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के अधीन संचालित सेवाओं एवं सुविधाओं से सम्बन्धित सभी स्थानों का समुचित रख-रखाव, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व लाईसेन्स धारक अपने व्यय पर स्वयं वहन करेगा।
- 26— यदि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सिचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेन्स धारक को आवंटित स्थल/परिसर के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते हैं या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्रभावित हो तो इन

नियमों/शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी जो लाईसेन्स धारक को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्स धारक को प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- 27— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन लाईसेन्स धारक को सुनिश्चित करना होगा।
- 28— विद्युत कनेक्शन लाईसेन्स धारक द्वारा स्वयं लिया जायेगा और उसका भुगतान ससमय करना होगा।
- 29— शर्तों आदि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर आर्बीटर होंगे और उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 30— लाईसेन्स धारक द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तों का लाईसेन्स धारक द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने व अन्य विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को होगा। ऐसी दशा में लाईसेन्स धारक को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नहीं होगा।
- 31— पैडल बोट, ड्रैगन बोट व शिकारा बोट का संचालन एन0जी0टी0 के नियमों/आदेशों के अधीन होगा।
- 32— किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र गोरखपुर होगा।